कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर

E-mail - ccf.bknr.forest@rajasthan.gov.in & Phone: Office 0151-2200321 कोठी नं.8 केम्पस, बीकानेर–334001 (राज.)

क्रमांक : एफ12(335)सर्वे / संमुवसं–बी / 2022–23 / 00390 / 7330 दिनांक : 17/09/2024

निमित्

उप वन संरक्षक,
श्रीगंगानगर।

विषय :— Diversion of 1.3407 ha of Forest land for CONSTRUCTION OF 220 KV S/C SURATGARH - PADAMPUR TRANSMISSION LINE, in Favour of Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Ltd Hanumangarh, District- SRI GANGANAGAR RAJASTHAN.

संदर्भ :— उप वन संरक्षक, (एफसीए) राजस्थान, जयपुर का पत्रांक F.No.14(Trans/30091) 2012 / FCA /PCCF/2491 दिनांक 09.09.2024 के क्रम में।

(Proposal no. - FP/RJ/TRANS/30091/2017)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा उप महानिरीक्षक / क्षेत्रीय अधिकारी, भारत सरकार, एम.ओ.ई.एफ.सी.सी., क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक 27.01.2023 के क्रम में वांछित सूचना प्रेषित कर सूचित किया गया कि प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन का कारण 200 के.वी. सूरतगढ़–पदमपुरा ट्रांसमिशन लाईन का निमार्ण कार्य जनहित में क्षेत्र पदमपुर तथा श्रीगंगानगर में विधुत व्यवस्था को सूचारू बनाये रखने के लिए तकनीकी रूप से अति आवश्यक होने के कारण उस समय पदस्थापित अधिकारी श्री एल.एल. चड्डा अधीक्षण अभियंता (टी एण्ड सी) द्वारा करवाया गया था। श्री एल.एल. चड्डा तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता निगम से वर्ष 2013 में सेवानिवृत हो चुके है जिसके कारण वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन हेतु उन पर कोई कार्यवाही किया जाना संभव नही है। आप द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में इस कार्यालय द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर को नोडल कार्यालय के द्वारा अतार्किक एवं नियम विरूद्ध सूचना भेजा जाना बताया जाकर इसे अस्वीकार करते हुए निम्नानुसार टिप्पणी अंकित की गई है:—

1. उप महानिरीक्ष्राक / क्षेत्रीय अधिकारी, भारत सरकार, एम.ओ.ई.एफ.एण्डसी.सी. क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक 27.01.2023 के अनुसार गत 10 वर्षो में क्या कार्यवाही की गई, स्पष्ट करें।
2. प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन हेतु क्या केवल सेवानिवृत्त अधिकारी श्री एल.एल. चड्डा अधीक्षण अभियंता (टी एण्ड सी) ही जिम्मेदार है तथा बिना सक्षम स्वीकृति के कार्य पूर्ण होने में वन विभाग एवं यूजर ऐजेन्सी के अन्य अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती है, स्पष्ट करावें।

अतः प्रकरण में उच्च कार्यालय के निर्देशानुसार वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन हेतु दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों के तहत जिम्मेदारी मय कर धारा 3 ए एवं 3 बी की कार्यवाही करें एवं उपर्युक्तानुसार कारण स्पष्ट करते हेतु पूर्ण सूचना 10 दिवस में प्रेषित करे। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

संलग्न — उपरोक्तानुसार।

(हनुमाना राम)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
बीकानेर

क्रमांक : एफ12(335)सर्वे / संमुवसं–बी / 2022–23 / 00390 / 7331-32 दिनांक : 17/09/2024

प्रतिलिपि :—

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान, जयपुर।
2. अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य विधुत प्रसारण निगम लिमिटेड, हनुमानगढ़ 335012। {Email - xen.tnc.hanumangarh@rvpn.co.in}

Signature valid

Digitally signed by Hanumana Ram
Designation: Chief Conservator Of Forest
Date: 2024.09.17 15:31:20 IST
Reason: Approved

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004
ई–मेलः–ccf.fca.rajasthan@gmail.com Tel. No. 0141-2713949

F No.14(Trans/30091)2012/FCA/PCCF/2491 दिनांक 9/9/24

मुख्य वन संरक्षक,
बीकानेर।

विषय– Diversion of 1.3407 ha of forest land for construction of 220 kv S/C SURATGARH-PADAMPUR Transmission Line in favour of Rajasthan Rajay Vidyut Prasaran Nigam Limited, Hanumangarh, District-SriGanganagar, Rajasthan. Proposal No. (FP/RJ/TRANS/30091/2017)

संदर्भ – आपका पत्र क्रमांक 6656 दिनांक 23.08.2024.

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा उप महानिरीक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी, भारत सरकार, एम ओ ई एफ सी सी, क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक 27.01.2023 के क्रम में वांछित सूचना प्रेषित कर सूचित किया है कि प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन का कारण 220 के.वी. सूरतगढ़–पदमपुरा ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण कार्य जनहित में क्षेत्र पदमपुर तथा श्रीगंगानगर में विद्युत व्यवस्था को सुचारु बनाये रखने के लिए तकनीकी रूप से अति आवश्यक होने के कारण उस समय पदस्थापित अधिकारी श्री एल. एल. चड्डा अधीक्षण अभियन्ता (टी एण्ड़ सी) द्वारा करवाया गया था। श्री एल. एल. चड्डा तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता निगम से वर्ष 2013 में सेवानिवृत हो चुके है जिसके कारण वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लघंन हेतु उन पर कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। आप द्वारा प्रेषित सूचना के परीक्षण उपरांत प्रतीत होता है कि आपके स्तर से बिना परीक्षण के अतार्किक एवं नियम विरूद्ध सूचना भेजी गई है, अतः उपर्युक्तानुसार प्राप्त सूचना निम्नाकिंत कारणो से स्वीकार्य नहीं है –

1. उप महानिरीक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी, भारत सरकार, एम ओ ई एफ सी सी, क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक 27.01.2023 के अनुसार गत 10 वर्षो में क्या कार्यवाही की गई, स्पष्ट करें।
2. प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लघंन हेतु क्या केवल सेवानिवृत्त अधिकारी श्री एल. एल. चड्डा अधीक्षण अभियन्ता (टी एण्ड़ सी) ही जिम्मेदार है तथा बिना सक्षम स्वीकृति के कार्य पूर्ण होने में वन विभाग एवं यूजर ऐजेन्सी के अन्य अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती है, स्पष्ट करावें।

अतः प्रकरण में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के उल्लघंन हेतु दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानो के तहत जिम्मेदारी तय कर धारा 3ए एवं 3बी की कार्यवाही करें एवं उपर्युक्तानुसार कारण स्पष्ट करतें हुए पूर्ण सूचना 10 दिवस में प्रेषित करें।

उक्त निर्देश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय

(दिनेशकुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफसीए)
राजस्थान, जयपुर।

Scanned with CamScanner

F No.14(Trans/30091)2012/FCA/PCCF/ दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर।
2. Executive Engineer, RAJASTHAN RAJAY VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED, RSEB Colony, Satipura, Hanumangarh (Rajasthan)- 335512

(दिनेशकुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफसीए)
राजस्थान, जयपुर।

Scanned with CamScanner